



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231183
CG-DL-E-16112021-231183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]
No. 568]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943

दामोदर घाटी निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

फा.सं. 01/01/2020-डीवीसी.—दामोदर घाटी निगम दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, दामोदर घाटी निगम (कार्य संचालन) विनियम 1951 के और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का नाम दामोदर घाटी निगम (कार्य संचालन) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
(2) राजपत्र में ये उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- दामोदर घाटी निगम में (कार्य संचालन) विनियम, 1951 में, विनियम 4 के लिए, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“4. गणपूर्ति- निगम के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य गणपूर्ति बनाएंगे जिनमें,-
(क) कोई भी दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे; और
(ख) कोई भी दो केन्द्र सरकार या झारखण्ड सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि होंगे।”

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./432/2021-22]

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या 1, दिनांक 27 अक्तूबर, 1951 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् भारत के राजपत्र, भाग-IV, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13

दिनांक 27 जून, 1959 द्वारा और भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 104
दिनांक 18 जून, 1977 द्वारा संशोधित किए गए थे।

DAMODAR VALLEY CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2021

F. No. 01/01/2020-DVC.—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948, the Damodar Valley Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend to the Damodar Valley Corporation (Conduct of Business) Regulations, 1951, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Damodar Valley Corporation (Conduct of Business) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Damodar Valley Corporation (Conduct of Business) Regulations, 1951, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:-

"4. *Quorum*- Half of the total Members of the Corporation shall form a quorum at a meeting of the Corporation out of whom,-

- a. any two shall be whole time members; and
- b. any two shall be representative of the Central Government or Government of Jharkhand or Government of West Bengal. "

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./432/2021-22]

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number 1, dated 27th October, 1951 and were subsequently amended by notification published in the Gazette of India, Part-IV vide No 13 dated 27th June, 1959 and by notification published in the Gazette of India, Part-III, Section 4, vide No 104 dated 18th June, 1977.